रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1993/कार्तिक 25, 1915
No. 677] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1993/KARTIKA 25, 1915

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1993

का. आ. 869(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारत सरकार के पूर्व उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के अधिसूचित आदेश का. आ. 662(अ) दिनांक 6 सितम्बर, 1985 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड – 3, उपखंड (ii) में दिनांक 9 सितम्बर, 1985 को प्रकाशित हुआ था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम आदेश की तालिका के माल के वर्ग का विवरण संबंधी कालम-I में "25 से अधिक के पावर टेक-ऑफ हार्स पावर के ट्रैक्टर" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"ट्रैक्टर्स (निर्यात से भिन्न) 1800 सी. सी. से अधिक की इंजन क्षमता वाले"

[फाइल नं. 5 (18)/90 – ए ई आई – III]

ई. एन. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1993

S.O. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notified order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry and Company Affairs (Department of Heavy Industry) number S.O. 662(E), dated the 6th September, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 9th September, 1985, namely :—

In the said notified order, in the Table, in column I relating to description of class of goods, for the words and figures "Tractors of Power Take-off Horse Power exceeding 25", the following shall be substituted, namely :—

"Tractors (other than those for export) exceeding engine capacity of 1800 c.c."

[File No. 5(18)/90-AEI-(III)]

E. N. MURTHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993